संख्या-19 /2015/476 /35-1-2015

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

1. प्रमुख सचिव/सचिव
   माध्यमिक शिक्षा/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/गन्ना विकास/कृषि विपणन/नगर विकास/आवास/ प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक,
   राजकीय निर्माण एजेन्सी,
   उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 28 अप्रैल, 2015

विषय- ई-परियोजना प्रबन्धन के अन्तर्गत मानक माइल स्टोन के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 के सूत्र संख्या-154 के अन्तर्गत क्रियान्वित होने वाली विभिन्न विकास विभागों की परियोजनाओं की प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2015-16 से ई-परियोजना प्रबन्धन को लागू किये जाने से संबंधित मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 द्वारा शासनादेश जारी किया जा चुका है, जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के पश्चात स्वीकृत होने वाली रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत के मार्ग, पेयजल योजनाएं, सीवर/ ड्रेनेज परियोजनाएं तथा रू0 1.00 करोड़ की लागत से ऊपर की अन्य निर्माणाधीन परियोजनाएं सम्मिलित होगी।

नियोजन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के साथ विचार-विमर्शोपरान्त विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की प्रकृति के अनुसार निर्माण हेतु मानक ''माइल स्टोन''' (Activities) निर्धारित किये गये हैं। (छाया प्रति संलग्न) इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ ''माइल स्टोन'' के निर्धारण करते समय इसे उपयोग में लायें, जिससे ''माइल स्टोन'' निर्धारण सुविधाजनक व प्रभावी ढंग से हो सके। यदि आवश्यक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हो तो प्रशासनिक विभाग इन चिन्हित परियोजनाओं में संलग्न सूची से भिन्न अतिरिक्त ''माइल स्टोन'' भी निर्धारित कर जोड़ सकते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग से संबंधित निर्माणाधीन/स्वीकृत परियेाजनाओं की प्रकृति के अनुसार ''माइल स्टोन'' (Activities) फीडिंग की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- निदेशक, राष्टीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया परियोजनाओं की प्रकृति के अनुसार उपलब्ध कराये गये ''माइल स्टोन'' (Activities) की साफ्ट कापी को विकसित वेबसाइट पर यथास्थान ड्राप बाक्स में डालने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

माइल स्टोन

1- नवीन सम्पर्क मार्ग का निर्माण

(i) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(ii) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(iii) टेण्डर स्वीकृत करना।

(iv) अनुबन्ध गठित करना।

(v) फील्ड में कार्य आरम्भ होना।

(vi) मिट्टी भराई/तटबन्ध निर्माण।

(vii) जी0एस0बी0।

(viii) डब्ल्यू0एम0एम0।

(ix) बी0एम0।

(x) एस0डी0बी0सी0/पी0सी0।

(xi) रोड फर्नीशिंग

2- सड़क चैड़ीकरण

(i) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(ii) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(iii) टेण्डर स्वीकृत करना।

(iv) अनुबन्ध गठित करना।

(v) फील्ड में कार्य आरम्भ होना।

(vi) ट्रेन्चिंग।

(vii) जी0एस0बी0।

(viii) डब्ल्यू0एम0एम0।

(ix) बी0एम0।

(x) एस0डी0बी0सी0/पी0सी0।

(xi) रोड फर्नीशिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- राजकीय हाई स्कूल/इण्टर कालेज का निर्माण

(i) कार्यदायी संस्था को भूमि पर कब्जा प्राप्त होना।

(ii) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(iii) मृदा परीक्षण एवं डी0पी0आर0 का गठन।

(iv) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(v) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(vi) टेण्डर स्वीकृत करना।

(vii) अनुबन्ध गठित करना।

(viii) फील्ड में कार्य आरम्भ होना।

(ix) नीव से लेकर प्लिंथ लेवल का निर्माण।

(x) लिंटर लेवल का कार्य।

(xi) छत/स्लेव पड़ना।

(xii) सेनेटरी कार्य।

(xiii) आन्तरिक विद्युतीकरण।

(xiv) फर्श का कार्य।

(xv) पेयजल व्यवस्था (बोरिंग/पंप हाउस/टंकी)।

(xvi) वाह्य विद्युतीकरण।

(xvii) चाहरदीवारी का निर्माण।

(xviii) परिसर का स्थल विकास।

(xix) फिनसिंग कार्य (रंगाई-पुताई और विद्युत उपकरण एवं खिड़की-दरवाजे का निर्माण)।

(xx) फर्नीचर एवं उपकरण की आपूर्ति।

(xxi) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करना।

(xxii) उपभोग प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होना।

(xxiii) शासन द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत करना।

(xxiv) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि हस्तान्तरित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(xxv) विद्यालय संचालन हेतु पद सृजन।

(xxvi) विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम स्टाफ की तैनाती।

(xxvii) कार्यदायी संस्था से भवन का हस्तान्तरण।

(xxviii) विद्यालय क्रियाशील होना।

4- राजकीय पालिटेक्निक

(i) मौके पर कार्यदायी संस्था को भूमि पर कब्जा मिलना।

(ii) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(iii) मृदा परीक्षण एवं डी0पी0आर0 का गठन।

(iv) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(v) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(vi) टेण्डर स्वीकृत करना।

(vii) अनुबन्ध गठित करना।

(viii) फील्ड में कार्य आरम्भ होना।

(ix) नीव से लेकर प्लिंथ लेवल का निर्माण।

(x) लिंटर लेवल का कार्य।

(xi) छत/स्लेप पड़ना।

(xii) सेनेटरी कार्य।

(xiii) आन्तरिक विद्युतीकरण।

(xiv) फर्श का कार्य।

(xv) पेयजल व्यवस्था (बोरिंग/पंप हाउस/टंकी)।

(xvi) वाह्य विद्युतीकरण।

(xvii) चाहरदीवारी का निर्माण।

(xviii) परिसर का स्थल विकास।

(xix) फिनसिंग कार्य (रंगाई-पुताई और विद्युत उपकरण एवं खिड़की-दरवाजे का निर्माण)।

(xx) फर्नीचर एवं उपकरण कार्य आपूर्ति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(xxi) प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करना।

(xxii) उपभोग प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होना।

(xxiii) शासन द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत करना।

(xxiv) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि हस्तान्तरित करना।

(xxv) विद्यालय संचालन हेतु पद सृजन।

(xxvi) विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम स्टाफ की तैनाती।

(xxvii) कार्यदायी संस्था से भवन का हस्तान्तरण।

(xxviii) इकाई क्रियाशील होना।

(xxix) मशीनरी एवं फर्नीचर का कार्य।

(आवासीय भवनों हेतु पृथक से माइल स्टोन निर्धारित होंगे, जो उपरोक्त सूची से ही चयनित कर लिये जायेंगे)

5- राजकीय आई0टी0आई0

(i) मौके पर कार्यदायी संस्था को भूमि पर कब्जा मिलना।

(ii) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(iii) मृदा परीक्षण एवं डी0पी0आर0 का गठन।

(iv) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(v) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(vi) टेण्डर स्वीकृत करना।

(vii) अनुबन्ध गठित करना।

(viii) फील्ड में कार्य आरम्भ होना।

(ix) नीव से लेकर प्लिंथ लेवल का निर्माण।

(x) लिंटर लेवल का कार्य।

(xi) छत/स्लेप पड़ना।

(xii) सेनेटरी कार्य।

(xiii) आन्तरिक विद्युतीकरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xiv) फर्श का कार्य।

(xv) पेयजल व्यवस्था (बोरिंग/पंप हाउस/टंकी)।

(xvi) वाह्य विद्युतीकरण।

(xvii) चाहरदीवारी का निर्माण।

(xviii) परिसर का स्थल विकास।

(xix) फिनसिंग कार्य (रंगाई-पुताई और विद्युत उपकरण एवं खिड़की-दरवाजे का निर्माण)।

(xx) फर्नीचर एवं उपकरण कार्य आपूर्ति।

(xxi) प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेशित करना।

(xxii) उपभोग प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होना।

(xxiii) शासन द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत करना।

(xxiv) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि हस्तान्तरित करना।

(xxv) विद्यालय संचालन हेतु पद सृजन।

(xxvi) विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम स्टाफ की तैनाती।

(xxvii) कार्यदायी संस्था से भवन का हस्तान्तरण।

(xxviii) इकाई क्रियाशील होना।

(xxix) मशीनरी एवं फर्नीचर का कार्य।

(आवासीय भवनों हेतु पृथक से माइल स्टोन निर्धारित होंगे, जो उपरोक्त सूची से ही चयनित कर लिये जायेंगे)

6- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(i) मौके पर कार्यदायी संस्था को भूमि पर कब्जा मिलना।

(ii) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(iii) मृदा परीक्षण एवं डी0पी0आर0 का गठन।

(iv) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(v) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(vi) टेण्डर स्वीकृत करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii) अनुबन्ध गठित करना।

(viii) फील्ड में कार्य आरम्भ होना।

(ix) नीव से लेकर प्लिंथ लेवल का निर्माण।

(x) लिंटर लेवल का कार्य।

(xi) छत/स्लेप पड़ना।

(xii) सेनेटरी कार्य।

(xiii) आन्तरिक विद्युतीकरण।

(xiv) फर्श का कार्य।

(xv) पेयजल व्यवस्था (बोरिंग/पंप हाउस/टंकी)।

(xvi) वाह्य विद्युतीकरण।

(xvii) चाहरदीवारी का निर्माण।

(xviii) परिसर का स्थल विकास।

(xix) फिनसिंग कार्य (रंगाई-पुताई और विद्युत उपकरण एवं खिड़की-दरवाजे का निर्माण)।

(xx) फर्नीचर एवं उपकरण कार्य आपूर्ति।

(xxi) प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेशित करना।

(xxii) उपभोग प्रमाण पत्र शसन में प्राप्त होना।

(xxiii) शासन द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत करना।

(xxiv) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि हस्तान्तरित करना।

(xxv) विद्यालय संचालन हेतु पद सृजन।

(xxvi) विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम स्टाफ की तैनाती।

(xxvii) कार्यदायी संस्था से भवन का हस्तान्तरण।

(xxviii) इकाई क्रियाशील होना।

(xxix) मशीनरी एवं फर्नीचर का कार्य।

(आवासीय भवनों हेतु पृथक से माइल स्टोन निर्धारित होंगे, जो उपरोक्त सूची से ही चयनित कर लिये जायेंगे)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(i) मौके पर कार्यदायी संस्था को भूमि पर कब्जा मिलना।

(ii) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(iii) मृदा परीक्षण एवं डी0पी0आर0 का गठन।

(iv) तकनीकी स्वीकृति निर्गत करना।

(v) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(vi) टेण्डर स्वीकृत करना।

(vii) अनुबन्ध गठित करना।

(viii) फील्ड में कार्य आरम्भ होना।

(ix) नीव से लेकर प्लिंथ लेवल का निर्माण।

(x) लिंटर लेवल का कार्य।

(xi) छत/स्लेप पड़ना।

(xii) सेनेटरी कार्य।

(xiii) आन्तरिक विद्युतीकरण।

(xiv) फर्श का कार्य।

(xv) पेयजल व्यवस्था (बोरिंग/पंप हाउस/टंकी)।

(xvi) वाह्य विद्युतीकरण।

(xvii) चाहरदीवारी का निर्माण।

(xviii) परिसर का स्थल विकास।

(xix) फिनसिंग कार्य (रंगाई-पुताई और विद्युत उपकरण एवं खिड़की-दरवाजे का निर्माण)।

(xx) फर्नीचर एवं उपकरण कार्य आपूर्ति।

(xxi) प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करना।

(xxii) उपभोग प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होना।

(xxiii) शासन द्वारा द्वितीय किष्त निर्गत करना।

(xxiv) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि हस्तान्तरित करना।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xxv) विद्यालय संचालन हेतु पद सृजन।

(xxvi) विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम स्टाफ की तैनाती।

(xxvii) कार्यदायी संस्था से भवन का हस्तान्तरण।

(xxviii) इकाई क्रियाशील होना।

(xxix) मशीनरी एवं फर्नीचर का कार्य।

(आवासीय भवनों हेतु पृथक से माइल स्टोन निर्धारित होंगे, जो उपरोक्त सूची से ही चयनित कर लिये जायेंगे)

8- पाइप पेयजल योजना- भूजल स्रोत

(i) भूमि अधिग्रहण करते हुए भूमि पर कब्जा प्राप्त होना।

(ii) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(iii) निविदा स्वीकृत करना।

(iv) कार्य आदेश निगर्त करना

(v) कार्य आरम्भ होना।

(vi) नलकूप हेतु बोरिंग का कार्य पूर्ण होना।

(vii) जलाशय की नीव का कार्य।

(viii) जलाशय की स्टेचिंग

(ix) जलाशय टाप डैम तक का कार्य।

(x) जलाशय के पाइप स्थापित करते हुए उसकी टेस्टिंग।

(xi) पम्प हाउस का निर्माण।

(xii) राइजिंग मेन स्थापित किया जाना।

(xiii) वितरण प्रणाली स्थापित करना।

(xiv) ऊर्जीकरण हेतु धनराशि हस्तान्तरित करना।

(xv) नलकूप ऊर्जीकरण होना।

(xvi) स्टाफ क्वाटर एवं स्थल विकास का कार्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(xvii) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किशत का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करना।

(xviii) उपभोग प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होना।

(xix) शासन द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत करना।

(xx) योजना की टेस्टिंग व क्रियाशील किया जाना।

(xxi) ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित होना।

9- पेयजल योजना -सतही स्रोत

(i) भूमि अधिग्रहण करते हुए भूमि पर कब्जा प्राप्त होना।

(ii) टेण्डर नोटिस जारी करना।

(iii) निविदा स्वीकृत करना।

(iv) कार्य आदेश निर्गत करना।

(v) कार्य आरम्भ होना।

(vi) इन्टेक का कार्य- सिविल वर्क।

(vii) इन्टेक का कार्य- विद्युत यान्त्रिक।

(viii) जल संशोधन संयत्र

(ix) रा वाटर संचरण।

(x) क्लेरी फाकुलेटर का निर्माण।

(xi) फिल्टर हाउस का निर्माण।

(xii) सी0डब्ल्यू0आर0।

(xiii) सी0डब्ल्यू0 पम्प हाउस।

(xiv) कान्सटेन्ट प्रेसर टैन्क।

(xv) डिस्ट्रीब्यूशन मेन।

(xvi) डिस्ट्रीव्यूशन लाइन।

(xvii) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेशित करना।

(xviii) उपभोग प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xix) शासन द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत करना।

(xx) टेस्टिंग एवं क्रियाशील करना।

(xxi) ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण।

10- सेतु (रेल उपरिगामी)

(i) भूमि अधिग्रहण करते हुए भूमि पर कब्जा प्राप्त होना।

(ii) विद्युत लाइन का हस्तान्तरण।

(iii) पेड़ कटान की स्वीकृति।

(iv) पेड़ कटान होना।

(v) पेयजल लाइन का हस्तान्तरण।

(vi) टेलीफोन लाइन का हस्तान्तरण।

(vii) मृदा परीक्षण का कार्य।

(viii) डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति निर्गत होना।

(ix) पिलर फाउन्डेशन का 25 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(x) पिलर फाउन्डेशन का 50 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xi) पिलर फाउन्डेशन का 75 प्रतिशत कार्य(संख्या में)।

(xii) पिलर फाउन्डेशन का 100 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xiii) पिलर सब स्ट्रेक्टचर का 25 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xiv) पिलर सब स्ट्रेक्टचर का 50 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xv) पिलर सब स्ट्रेक्टचर का 75 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xvi) पिलर सब स्ट्रेक्टचर का 100 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xvii) पिलर सुपर स्ट्रेक्टचर का 25 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xviii) पिलर सुपर स्ट्रेक्टचर का 50 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xix) पिलर सुपर स्ट्रेक्टचर का 75 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xx) पिलर सुपर स्ट्रेक्टचर का 100 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xxi) आर0ई0 वाल प्रथम का निर्माण 50 प्रतिशत।

http://shasanadesh.up.nic.in

(xxii) आर0ई0 वाल प्रथम का निर्माण 100 प्रतिशत।

(xxiii) आर0ई0 वाल द्वितीय का निर्माण 50 प्रतिशत।

(xxiv) आर0ई0 वाल द्वितीय का निर्माण 100 प्रतिशत।

(xxv) सर्विस रोड का निर्माण।

(xxvi) रेलवे स्पैन फाउन्डेशन।

(xxvii) रेलवे स्पैन सब स्ट्रेक्चर।

(xxviii) रेलवे स्पैन सुपर स्ट्रैक्चर।

(xxix) फिनिशिंग का कार्य।

(xxx) क्रियाशील होना।

11- सेतु (नदियों/नालों पर)

(i) भूमि अधिग्रहण करते हुए भूमि पर कब्जा प्राप्त होना।

(ii) विद्युत लाइन का हस्तान्तरण।

(iii) पेड़ कटान की स्वीकृति।

(iv) पेड़ कटान होना।

(v) पेयजल लाइन का हस्तान्तरण।

(vi) टेलीफोन लाइन का हस्तान्तरण।

(vii) मृदा परीक्षण का कार्य।

(viii) डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति निर्गत होना।

(ix) पिलर फाउन्डेशन का 25 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(x) पिलर फाउन्डेशन 50 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xi) पिलर फाउन्डेशन का 75 प्रतिशत कार्य(संख्या में)।

(xii) पिलर फाउन्डेशन का 100 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xiii) पिलर सब स्ट्रेक्टचर का 25 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xiv) पिलर सब स्ट्रेक्टचर का 50 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xv) पिलर सब स्ट्रेक्टचर का 75 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

http://shasanadesh.up.nic.in

(xvi) पिलर सब स्ट्रेक्टचर का 100 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xvii) पिलर सुपर स्ट्रेक्टचर का 25 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xviii) पिलर सुपर स्ट्रेक्टचर का 50 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xix) पिलर सुपर स्ट्रेक्टचर का 75 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xx) पिलर सुपर स्ट्रेक्टचर का 100 प्रतिशत कार्य (संख्या में)।

(xxi) अप्रोच रोड प्रथम।

(xxii) अप्रोच रोड द्वितीय।

(xxiii) सुरक्षात्मक कार्य।

(xxiv) फिनिशिंग का कार्य।

(xxv) क्रियाशील होना।

---

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।